संख्या:- 149/2026/आई-1461739/001-555आ0-23-5002-002-40-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2072141)

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-27-00-24 "अवासीय/अनावासीय भवनों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बहराइच, कौशांबी, सीतापुर, मेरठ, संभल, मीरजपुर, हरदोई, बस्ती, लखनऊ, बदायूं एवं बांदा के कुल 19 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-27-00-24 "अवासीय/अनावासीय भवनों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद बहराइच, कौशांबी, सीतापुर, मेरठ, संभल, मीरजपुर, हरदोई, बस्ती, लखनऊ, बदायूं एवं बांदा के कुल 19 कार्यों हेतु आगणन लागत रू0 **231.04** लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 66.50 लाख (रू0 छियासठ लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	542जी/9(13)बी0 पी0विंग /2026, दिनांक-18.08.2026	बहराइच	जनपद बहराइच में अनावासीय भवनो (04 नं0 खण्डीय कार्यलाय भवन (प्रा0ख0/नि0ख0-1/नि0ख0-2 (प्र0प0)/ नि0ख0-3 (इं0ने0 बा0) एवं वृतीय कार्यालय) के रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	20.99	06.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	तदैव	कौशांबी	जनपद कौशाम्बी में पूल्ड आवास टाईप-4 कलेक्ट्रेट मुख्यालय मंझनपुर में रूफ टाप रेनवाटर हारवेस्टिंग का कार्य।	07.50	02.00
3	तदैव	तदैव	जनपद कौशाम्बी में पूल्ड आवास सिराथू रोड़ मंझनपुर में रूफ टाप रेनवाटर हारवेस्टिंग का कार्य।	07.50	02.00
4	तदैव	सीतापुर	जनपद सीतापुर मे अधीक्षण अभियन्ता आवास में रेन वाटर हारवेस्टिंग निर्माण कार्य	07.14	02.00
5	तदैव	तदैव	जनपद सीतापुर में लो0नि0वि0 के टाइप-3 के आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	21.00	06.00
6	तदैव	तदैव	जनपद सीतापुर के आफीसर्स कालोनी में टाइप- 4 के चार आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य।	28.01	08.50
7	566जी/9 (रेनवाटर) बी0पी0विंग /2026, दिनांक- 19 .08.2026	मेरठ	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त/ अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ परिसर में रेन वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण कार्य।	15.57	04.50
8	तदैव	तदैव	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ परिसर में रेन वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण कार्य।	07.68	02.00
9	तदैव	तदैव	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ परिसर में रेन वाटर हारवेस्टिंग का निर्माण कार्य।	07.68	02.00
10	तदैव	कौशांबी	कार्यालय भवन लोक निर्माण विभाग, मंझनपुर कौशाम्बी में रूफटाप रेन वाटर हार्वेटिंग का कार्य	07.50	02.00
11	तदैव	तदैव	सर्किट हाउस, कौशाम्बी में रूफटाप रेन वाटर हार्वेटिंग का कार्य	07.50	02.00
12	तदैव	संभल	जनपद संभल के निरीक्षण भवन बबराला में रेनवाटर हार्वेटिंग का कार्य	06.94	02.00
13	तदैव	मिर्जापुर	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,2, लो0नि0वि0 मीरजापुर में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	12.00	03.50
14	तदैव	हरदोई	मल्लावां स्थित डाकबंगला परिसर में रूफ रेन हारवेस्टिंग एवं जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 यू टाइप नाली निर्माण का कार्य	11.67	03.50

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	तदैव	बस्ती	अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-1 लो0 नि0 वि0 बस्ती के कार्यालय भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	04.61	01.50
16	570जी/9 (रेनवाटर) बी0पी0विंग /2026, दिनांक-19.08.2026	लखनऊ	जनपद लखनऊ प्रान्तीय खण्ड कार्यालय भवन पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	20.77	06.00
17	तदैव	तदैव	जनपद लखनऊ निरीक्षण भवन ब्लाक 'ए' एवं 'बी' पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	12.03	03.50
18	607 जी/9 (रेनवाटर) बी0पी0विंग /2026, दिनांक-24 .08.2026	बदायूं	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूं में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	08.33	02.50
19	तदैव	बांदा	सर्किट हाउस बांदा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	16.62	05.00
योग:-				**231.04**	**66.50**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

15- विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

16- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

17- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

18- लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

19- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

21- लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

22- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

23- लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

24- लोक निर्माण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

25- प्रदेश में आवासीय/अनावसीय भवनों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु अब तक निर्गत कुल धनराशि के सापेक्ष संपन्न कार्यों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 66,50,000 (रू0 छियासठ लाख पचास हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800512700 "अवासीय/अनावासीय भवनों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य", मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 149/2026/आई-1461739/001-555आ0(1)/23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।